अत्यावश्यक
ई-मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक–2प / पं०स०भ० / 09–16 / 2024 / 4952 / पं०रा०

**बिहार सरकार**

**पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

**आनन्द शर्मा,** भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

**अपर मुख्य सचिव,**
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 07/4/2025

**विषय :– पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति / सहमति देने के संबंध में।**

**प्रसंग :– जिला पदाधिकारी, कटिहार का पत्रांक–440 दिनाक–22.02.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति / सहमति देने के संबंध में अनुरोध किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

| क्र०सं० | जिला | प्रखंड | पंचायत | मौजा | खाता सं० | खेसरा सं० | प्रस्तावित रकवा | जिला पदाधिकारी का पत्रांक / दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | समेली | डूमर | डूमर | डूमर | 148 | 877 | 0.30 एकड़ | 440 / 22.02.2024 |
| 2. | कटिहार | सिरनियाँ पश्चिम | सिरनियाँ पश्चिम | सिरनियाँ पश्चिम | 1405 | 501 | 0.35 एकड़ | 440 / 22.02.2024 |

ज्ञातव्य हो कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–281 दिनांक–08.01.2024 की कंडिका–(ii) में उल्लेखित है कि "यदि गैरमजरूआ आम या गैरमजरूआ खास जमीन उपलब्ध न हो तो अन्य सरकारी विभागों की उन पंचायतों में उपलब्ध भूमि को चिह्नित कर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाए।"

उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–359(6) / रा० दिनांक–19.05.2014 तथा पत्रांक–82(6) / रा० दिनांक–23.01.2015 में प्रावधानित है कि राज्य सरकार के विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 03 एकड़ तक सरकारी / गैरमजरूआ आम भूमि अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण के पूर्व भू–स्वामित्व रखने वाले विभाग (सरकारी विभाग) से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त समाहर्त्ता स्तर से निःशुल्क हस्तांतरण किया जा सकेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–04.02.2025 को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2459 दिनांक–11.02.2025 के कंडिका 2 I (g) के माध्यम से निदेशित

किया गया है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अन्तर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के मामले में जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भूमि हस्तांतरण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए विभाग स्तर से हस्तांतरण की कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदित करेंगे ताकि संबंधित विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के बिन्दु पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

**अनुलग्नक**–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

**ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4952 पं०रा० पटना, दिनांक 07/4/2025**

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

**ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4952 पं०रा० पटना, दिनांक 07/4/2025**

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

**ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4952 पं०रा० पटना, दिनांक 07/4/2025**

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

**ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4952 पं०रा० पटना, दिनांक 07/4/2025**

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा) 03/04
निदेशक

पत्रांकः- 440/पं०

# समाहरणालय, कटिहार

## (जिला पंचायत प्रशाखा)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक :- 22.02.2025

विषय : पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि की सूचना प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक-10956/पं०रा०, दिनांक-12.10.2023, पत्रांक-281 दिनांक-08.01.2024 एवं अर्द्धसरकारी पत्र संख्या-95, दिनांक-01.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त विभागीय निदेश के आलोक में जिले में शेष पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन किया जा रहा है। इस क्रम में वर्तमान में 6 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु विभागीय मानकों के अनुरुप उपयुक्त भूमि का चयन किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

| क्रं० | प्रखंड | पंचायत | चयनित ग्राम | मौजा | थाना नं० | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकबा | किस्म | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | मनसाही | भेड़मारा | हरिप्रसाद | हरिप्रसाद | 304 | 189 | 499 | 0.35 एकड़ | भीठ-2 | |
| 2 | कटिहार | सिरनियाँ पूरब | बघार | बघार | 96 | 46 | 84 | 0.30 एकड़ | राजेन्द्र स्थान वर्तमान परती | |
| 3 | कदवा | शिकारपुर | भाग सजना | भाग सजना | 189 | 189 | 708 | 0.30 एकड़ | पुरानी परती | |
| 4 | कदवा | चंदहर | चंदहर | चंदहर | 351 | 126 | 121 | 0.29.843 एकड़ | रास्ता | |
| 5 | समेली | डूमर | डूमर | डूमर | 87 | 148 | 877 | 0.30 एकड़ | देवकीनंदन उच्च विद्यालय, डूमर | शिक्षा विभाग |
| 6 | कटिहार | सिरनियाँ पश्चिम | सिरनियाँ पश्चिम | सिरनियाँ पश्चिम | 118 | 1405 | 501 | 0.35 एकड़ | फिल्ड | शिक्षा विभाग |

अतः अनुरोध है कि क्रमांक-5 एवं 6 पर अंकित दोनों पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु विभागीय स्तर से शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से अनापत्ति प्राप्त करते हुए वर्णित सूची के सभी स्वीकृत प्रस्तावों पर अग्रतर कार्रवाई की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
939
27 FEB 2025

25/3/25

LETTER 2024\LETTERS.DOCX

Scanned with CamScanner

# समाहरणालय, कटिहार।


मनेश कुमार मीणा,
समाहर्त्ता, कटिहार।
☎ – 06452-230583
फैक्स :– 06452-230860
E-Mail-dm.katihar.bih@nic.in


## राजस्व प्रशाखा

पत्रांक :(सं०रा०– 11–12(5)/25)________/रा०, दिनांक : ............

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

**विषय :–** कटिहार जिला अन्तर्गत मनसाही अंचल के ग्राम पंचायत राज, भेडमारा में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अन्तर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

**प्रसंग :–** पंचायती राज विभागीय पत्रांक 281/पं०रा०, दिनांक 08.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 251/रा०, दिनांक 13.02.2025 के द्वारा विषयांकित निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित विवरणी की भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा सहित अभिलेख सं० 01/2023–24 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

| मौजा | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा नं० | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|---|
| हरिप्रसाद | 304 | 189 | 499 | 0.35 एकड़ (136'6" X 112') | उ०– शीश मोहम्मद ई०<br>द०– मो० जसिम ई०<br>पू०– कच्ची सड़क<br>प०– पक्की सड़क |

उक्त अभिलेख के आदेश पृष्ट सं०–8 पर राजस्व विभागीय संकल्प सं० 359(6)/रा०, दिनांक 14.05.2014 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति से विषयांकित निर्माण कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि यदि विषयांकित निर्माण कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है तो उक्त भूमि स्वतः बिहार सरकार के मूल खाते में वापस हो जायेगी।

उक्त भूमि की सत्ता पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार को सौंपी जाती है।

विश्वासभाजन,
ह०/-
समाहर्त्ता,
कटिहार।

ज्ञापांक 321 रा०, दिनांक 19.02.2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को ट्रेस मैप एवं चेक स्लीप के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, मनसाही को सभी संलग्न दस्तावेज सहित मूल अभिलेख संख्या 01/2023–24 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जमाबन्दी कायम कर शीघ्र प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला गजट पदाधिकारी (जिला सामान्य प्रशाखा), कटिहार को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को जिला गजट में प्रकाशित कर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

समाहर्त्ता,
कटिहार।

Scanned with CamScanner